

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

S 410918

सम्पत्ति का बाजार मूल्य - 12,13,000/- (बारह लाख तेरह हजार रु.)

मुद्रांक शुल्क 12,150/-रुपये

किरायानामा बावत् मकान एवं रिक्त भूमि

मौजा	पट.ह.नं.	वृत्त	विकास खण्ड	तहसील	जिला
सोनौरा	80 सेजहटा	सतना	सोहावल	रघुराजनगर	सतना म0प्र0

प्रथम पक्ष/मकान मालिक:- श्री अजय त्रिवेदी उम्र 43 वर्ष तनय श्री करुणेश प्रसाद त्रिवेदी निवासी चाणक्यपुरी कालोनी सतना, थाना कोलगवां, तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0) जाति ब्रा0 राष्ट्रीयता भारतीय, मतदाता परिचय पत्र क्र0- JFS044895।

द्वितीय पक्ष/किरायेदार:- सुपर मॉडर्न शिक्षा समिति (हार्षण कांनवेन्ट स्कूल) सोनौरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0) द्वारा अध्यक्ष- श्रीमती नंदिनी त्रिवेदी उम्र 38 वर्ष पत्नी श्री अजय त्रिवेदी निवासी चाणक्यपुरी कालोनी सतना, थाना कोलगवां, तहसील तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0) जाति ब्रा0 राष्ट्रीयता भारतीय, पेन कार्ड क्र0- AOTPT1030J



30

सुभा माईन शिक्षा समिति (द्विषण
कान्वेन्ट स्कूल), खोन्नौरा, सल्ना.
(म.प्र.), बाघ अटवस - डीमली
नंदिनी पत्नी डी जय्य त्रिवेदी,
निराही - बागम्यपुरी कालोनी,
सल्ना.

यहाँ एवं अवधि की
दिनांक की आरंभ.

विपिन मोहदिया
की माताजी.



नजरी नक्शा

 - प्रत्यक्ष क्षेत्र

दिनांक 21-10-20 पैनाजा कुछ नहीं

द्वितीयपक्ष-

तैयार किया

कनिष्ठ युगल २५५

न.नि.रजि.नं. ७४/३

निदास्त- यत्नी मे २, निदास्त- यत्नी मे २

विमानने लवारी घुलवली

प्राप्त- अलेख्य प्रमाण, प्रमाणित

12. (12.5)

Mo-N^o-982752135



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

S 410898

//2//

किरायानामा बावत मकान व रिक्त भूमि की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

विदित हो कि आराजी खसरा नं०- 39/2/2/2/1 कुल रकवा 0.405 हे० का जुज रकवा 0.75 ए० यानी 32,670 वर्गफिट भूमि जिसमें 10,000 वर्गफिट भूमि में मकान बना हुआ है एवं 22,670 वर्गफिट भूमि रिक्त है। जो कि बाका मौजा सोनौरा प०ह०नं० 80 सेजहटा, वृत्त सतना, विकासखण्ड सोहावल, तहसील, रघुराजनगर जिला सतना (म०प्र०) में स्थित है। जिसके कि प्रथम पक्ष श्री अजय त्रिवेदी उम्र 43 वर्ष तनय श्री करुणेश प्रसाद त्रिवेदी निवासी चाणक्यपुरी कालोनी सतना, थाना कोलगवां, तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म०प्र०) मालिक एवं भूमि-स्वामी हैं। जिन्हें विक्रय करने एवं किराया आदि पर देने का पूर्ण अधिकार है। आज दिनांक 21/10/2020 को द्वितीय पक्ष सुपर मॉडर्न शिक्षा समिति (हार्षण कांनवेन्ट स्कूल) सोनौरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म०प्र०) द्वारा अध्यक्ष- श्रीमती नंदिनी त्रिवेदी उम्र 38 वर्ष पत्नी श्री अजय त्रिवेदी निवासी चाणक्यपुरी कालोनी सतना, थाना कोलगवां, तहसील तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म०प्र०) को 04 वर्ष 11 माह तक के लिये किराये पर दे रहे हैं। जिसकी शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त आराजी नं० 39/2/2/2/1 कुल रकवा 0.405 हे० का जुज रकवा 0.75 ए० यानी 32,670 वर्गफिट भूमि में जिसमें 10,000 वर्गफिट भूमि में मकान बना हुआ है एवं 22,670 वर्गफिट भूमि रिक्त है। जो कि खेल के मैदान के लिये उपयोग एवं उपयोग में किया जावेगा।
2. यह कि उक्त मकान एवं रिक्त भूमि को प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मुबलिक 25,000/-रु० (पच्चीस हजार आठ सौ रुपये) मासिक किराये पर दिया है।
3. यह कि उक्त मकान व रिक्त भूमि की किरायेदारी हर माह की 01 तारीख से प्रारंभ होकर उसी माह की अंतिम तारीख को समाप्त होगी व इसी तरह किरायेदारी आगे 04 वर्ष 11 माह तक वैध रहेगी तथा माहवारी किराये की रकम द्वितीय पक्ष हर माह की 05 तारीख के अंदर प्रथम पक्ष को अदा करेगा जिसकी रसीद प्राप्त करेंगे व बिना रसीद के माहवारी किराये की अदायगी नहीं मानी जायेगी।

क्रमश:-3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

S 410899

//3//

4. यह कि उक्त मकान एवं रिक्त भूमि पर बिजली कनेक्शन प्रथम पक्ष के नाम पर हैं। किन्तु बिजली बिलों का भुगतान द्वितीय पक्ष करेंगे। जो कि किराये की रकम से पृथक में होगा। द्वितीय पक्ष उक्त मकान एवं रिक्त भूमि का उपयोग व उपभोग विद्यालय एवं उससे संबंधित कार्यों के लिये ही करेगा एवं मकान में जो भी बिजली व पानी का व्यय होगा उसकी अदायगी द्वितीय पक्ष करेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त मकान जिसे वह विद्यालय हेतु माहवारी किराये पर ले रहे हैं, उसकी समुचित व्यवस्था सफाई, पोताई एवं रंग रोगन आदि अपने व्यय से करावेंगे द्वितीय पक्ष उक्त मकान में किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़ व सुधार आदि नहीं करायेगे।
6. यह कि द्वितीय पक्ष मकान के अंदर किसी प्रकार के बिस्फोटक, ज्वलनशील व गलनशील पदार्थ नहीं रखेगा जिससे कि मकान का फर्स, दीवाल, छत आदि की क्षति हो।
7. यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त किरायेदारी की अवधि 04 वर्ष 11 माह के अंदर बीच में उपरोक्त मकान व रिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं रहती है व मकान खाली करना चाहते हैं, तो शिक्षण सत्र समाप्त होने के एक सप्ताह पूर्व लिखित सूचना प्रथम पक्ष को देकर मकान खाली कर सकेगा और यदि उक्त अवधि के अंदर प्रथम पक्ष को उक्त मकान व रिक्त भूमि की आवश्यकता होती है तो शिक्षा सत्र समाप्त होने के बाद एक सप्ताह की लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर मकान व रिक्त भूमि खाली करा सकेगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त मकान की किरायेदारी में अन्य किसी को साझीदार नहीं बना सकेगा और न ही अन्य किसी को उप किरायेदार बना सकेगा। किरायेदारी की अवधि समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष उक्त मकान व रिक्त भूमि खाली कर कब्जा प्रथम पक्ष को ही सौंपेगा।
9. यह कि किरायेदारी दोनों पक्षों की रजामंदी, सहमति से आज दिनांक 21/10/2020 को निष्पादित किया जा रहा है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

S 409856

//4//

लिहाजा आज दिनांक 21/10/2020 को हम उभयपक्ष दो गवाहों के समक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि की अवस्था में बिना किसी डर व प्रलोभन के अपनी स्वेच्छा से यह किरायानामा बावत मकान व रिक्त भूमि कम्प्यूटर से टाइप करवाकर पढ़, सुन, समझकर अपनी पूर्ण स्वीकृति कर अपने अपने हस्ताक्षर बना दिये कि सनद् रहे वक्त पर काम आवे।

सतना, दिनांक 21/10/2020

हस्ताक्षर गवाहान:-

नाम- कुंज बिहारी पाण्डेय

पिता- श्री इन्द्रमणि पाण्डेय

पता- वार्ड क्र० 15 हनुमाननगर

नई बस्ती सतना

तह० रघुराजनगर जिला सतना (म०प्र०)

मतदाता परिचय पत्र क्र०-JFS1357912

हस्ताक्षर क विपक्षिता कता/सहमतिकाता
को. रसविक्रमाल सभा से ज्ञातता है एव उक्त
इस विवेक में धरम धरमविश्वों को प्रमाणित
करता है

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष/मकान मालिक

2

नाम- बृजेश सिंह तिवारी

पिता- श्री गया सिंह तिवारी

पता- सिद्धार्थनगर सतना

तह० रघुराजनगर जिला सतना (म०प्र०)

पेन कार्ड क्र०-AOTPT1580P

यह दस्तावेज पक्षकारों के बचये अनुसार मेरे निर्देशन में टाइप किया गया।

हस्ताक्षर क विपक्षिता कता/सहमतिकाता
को. रसविक्रमाल सभा से ज्ञातता है एव उक्त
इस विवेक में धरम धरमविश्वों को प्रमाणित
करता है

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष/किरायेदार

Rudra Pratap Singh